संख्या: 9/2021- 49-3099/10/2021

प्रेषक:

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक जुलाई, 2021

विषय: आई.सी.सी.एम.आर.टी. को सदस्यता शुल्क हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त रू0 12.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 48/लेखा-अ, दिनांक 10 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई.सी.सी.एम.आर.टी. , लखनऊ को देय वार्षिक सदस्ता शुल्क/अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।
(2) धनराशि के व्यय के दौरान वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता का अनुपालन किया जायेगा।
(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यथा आवश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2 (6) में दी गयी व्यवस्था एवं अन्य उत्तरवर्ती संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-003-प्रशिक्षण-05-सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त शासनादेश भौतिक रूप से दिनांक 01.07.2021 को पूर्व में निर्गत कर दिया गया है, अत: इस शासनादेश को शासनादेश संख्या: 9/2021 के रूप में यथावत् पढ़ा जाय।

भवदीया,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

संख्या: ई/1378406/21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, सहकारिता , उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, आई.सी.सी.एम.आर.टी. इंदिरा नगर, लखनऊ।
7- वेब मास्टर, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवाजी सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।